



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052022-235763
CG-DL-E-13052022-235763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944

No. 2116]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

का.आ. 2227(अ).—एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. के-11011/5/2009-डीडी II दिनांक 06.05.2022 द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 5 (2) (एफ) के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में श्री निखिल साहनी के स्थान पर श्री अंशुमन मैगजीन, अध्यक्ष सीआईआई, नॉर्दन रीजन काउंसिल को मनोनीत किया है।

[फा. सं. 1(2)2004/एसी/एमसी/डीडीए/पार्ट.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th May, 2022

S.O. 2227(E).—It is hereby notified that the Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India vide letter No. K-11011/5/2009-DDII dated 06.05.2022 has nominated Shri Anshuman Magazine, Chairman CII, Northern Region Council as Member of Advisory Council of Delhi Development Authority under Section 5(2)(f) of Delhi Development Act, 1957 in place of Shri Nikhil Sawhney.

[F. No. 1(2)2004/AC/MC/DDA/Pt.]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.